राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	परमानन्द बनाम नरसा 629/2015, 410/2013 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.5.26	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 629/2015 उनवानी परमानन्द बनाम नरसा एवं अपील संख्या 410/2013 उनवानी नरसा बनाम परमानन्द में प्रश्नाधीन भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनों अपीलों में इकजाई रूप से बहस समायत की जा रही है। अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दोनों अपीलों पर ईकजाई रूप से समायत की गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	11.5.26 11.5.26
13.5.26	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि नरसा ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा के समक्ष दिनांक 17/09/1994 को प्रतिवादीगण पाबूदान, उप-पंजीयक विराटनगर एवं तहसीलदार के विरुद्ध एक वाद बाबत इस्तकरार हक़ दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/07/1997 पारित करते हुये वादी नरसा पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी हरिकिशनपुरा, तह. विराटनगर को आराजी खसरा नम्बर 515/1.12 वाके ग्राम हरिकिशनपुरा, प.क्षे. नौरंगपुरा, तह. विराटनगर को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 पाबुदान नायक की खातेदारी हजफ़ की गयी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को हाल खसरा नम्बर 518, 517 पर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। प्रतिवादी को खसरा नम्बर 515/1.12 हैक्टेयर पर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी परमानद ने इस न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 629/2015 उनवानी परमानन्द बनाम नरसा उर्फ़ नरसी प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष दिनांक 11/07/2007 को परमानन्द ने प्रतिवादीगण ग्यारसी, सुन्दरी, बिदामी, मोहरी उर्फ़ लक्ष्मी, रमेश उर्फ़ मंजू, भंवरी व अन्य के विरुद्ध एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी हक़ एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 29/05/2012 पारित करते हुए वाके ग्राम हरिकिशन पटवार हल्का नौरंगपुरा तहसील विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 515/1.12, 518/1.41 कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर नरसा उर्फ़ नरसी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 410/2013 प्रस्तुत की गयी। दोनों अपील पत्रावलीयो पर परमानन्द की और से अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	परमानन्द बनाम नरसा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	629/2015, 410/2013	

के आधार पर अपीलों का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं शेष अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उभयपक्षों द्वारा की गयी बहस के आधार पर प्रश्नाधीन पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते है एवं गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रश्नाधीन वाद को बिना तनकीयात/परिक्षण किये ही कमिश्नर की मौका रिपोर्ट के आधार पर एडवर्स पजेशन को दृष्टीगत रखते हुये अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हक़ में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जो विधिसम्मत जाहिर नही होती है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22/07/1999 व 29/05/2012 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तनकीवार साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विवेचन करते हुये विधिक प्रावधानों के अनुसरण में विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार दोनों अपीले क्रमश: 629/2015 व 410/2013 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर